प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
53—नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—एवं—
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

प्रेषित

श्री अनिल मान, उम्मीदवार,
इंडियन नेशनल काँग्रेस, 53—नलवा विधानसभा क्षेत्र
जिला हिसार।

क्रमांकः चुनाव—2024 / 53—नलवा / 3046 दिनांकः 23—10—2024

विषयः— **During Counting process, EVM showing 99% battery more than 80% of EVM in find two rounds as well as clock error also.**

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक चुनाव—2024 / 53—नलवा / 3001 दिनांक 18—10—2024 के निरन्तर में।

1. श्रीमान, कृप्या उपरोक्त विषय पर आपकी शिकायत दिनांक 08.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसमें निम्न मुद्दों को उठाया गया हैः—

   i. **बैटरी पैक के ऊपर 99% चार्ज दर्शित (डिस्प्ले) होना।**
   ii. **Clock Error (डिस्प्ले) होना।**

2. उक्त संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि निर्वाचन से छह माह पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया का आरम्भ होता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। उसके उपरान्त रैण्डेमाईजेशन से लेकर कमीशनिंग तक, उसके बाद मतदान व मतदान की समाप्ति तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरंतर कार्यरत रहते हुये निर्वाचन कार्य को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ संपन्न किया है। परन्तु आपके द्वारा की गई उपरोक्त शिकायत से अधोहस्ताक्षरी को बहुत ठेस पहुंची है।

3. आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रशासनिक संरक्षोपायों के साथ प्रौद्योगिकीय सुरक्षात्मक विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को, कोई भी गुंजाइश न छोड़ते हुए पूरी तरह से हेर—फेर से मुक्त बनाती हैं। आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग हेतू चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें विनिर्माता से मशीनों के परिवहन से लेकर भंडारण शामिल है। इसके अलावा, निर्वाचन में किसी भी संभाविता का निराकरण करने के लिए क्या करें और क्या न करें भी निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैंडल करने के लिए एक विस्तृत एवं सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संभव दुरुपयोग या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच या किसी भी अनभिप्रेत प्रक्रियात्मक चूक को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मतदान से पहले, मतदान के दौरान या मतदान के बाद या भंडारण / परिवहन

के दौरान किसी भी तरह की हेर–फेर से सुरक्षित रखा जाता है। आयोग द्वारा प्रत्येक चरण पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता के प्रति उनका विश्वास कायम किया जा सके। सभी प्रक्रियाएं आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों या जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों व उनके एजेंटों की भागीदारी की प्रणाली इतनी सशक्त है कि ईवीएम मशीनों में कोई भी बदलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु दोबारा आपकी जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:–

5. **प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)**

5.1. पत्र सं. 51/8/16/9/2017–ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09.11.2017 जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) में आगे और अपडेट किया गया है, में समाविष्ट आयोग के अनुदेशों के अनुसार, राज्य में प्रत्येक चुनाव से कम से कम 180 दिन पहले ईवीएम के दोनों भागों और वीवीपैट की गहन प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी ईवीएम और वीवीपैट की प्रामाणिकता और उपयुक्तता सुनिश्चित करती है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के पर्यवेक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित और निरापद क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विनिर्माण कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के साथ उपयुक्त पावती के अधीन लिखित रूप में साझा किया जाता है और उसकी प्रति दल के राज्य मुख्यालयों को भेजी जाती है। यदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एफएलसी के दौरान भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पावती सहित पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है।

5.2 प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) बीयू, सीयू और वीवीपैट का एक परीक्षण है जो मशीनों की पूर्ण जांच करने के लिए विनिर्माता द्वारा विहित किया गया है। जांच के उपरांत, विनिर्माता इस बात का उचित प्रमाण पत्र देते हैं कि ईवीएम के सभी भाग औरिजनल हैं।

5.3. एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल की एसओपी के अनुसार चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में एक बड़े हॉल में 24X7 सीसीटीवी कवरेज के साथ की जाती है जहां प्रवेश और निकास द्वार पर लॉग बुक रखा रखा जाता है। एफएलसी प्रक्रिया का अनुवीक्षण डीईओ और सीईओ स्तर पर स्ट्रांग रूम में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

5.4. एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों को उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें स्वैच्छा से किसी भी मशीन को चुनने और स्वयं मॉक पोल करने की अनुमति दी जाती है। इसके उपरान्त एफएलसी के बाद मशीनों को पिंक पेपर सील से सीलबंद करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करवाते हैं।

5.5. 53—नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एफएलसी, जिला मुख्यालय में 01.08.2024 से 20.08.2024 तक संचालित किया गया था। निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एफएलसी में भाग लिया था (सूची संलग्न):—

1. आईएनसी
2. आईएनएलडी
3. आम आदमी पार्टी

6. **एफएलसी के बाद स्टोरेजः—**

आयोग द्वारा एफएलसी ओके ईवीएम के स्टोरेज एवं सुरक्षा हेतू स्ट्रांग रूम के आगे राज्य सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जाता है, जहां पर डीवीआर युक्त 24X7 सीसीटीवी कवरेज होता है तथा तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक बनाई जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), पर्यवेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम का दौरा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन तक यही व्यवस्था रहती है। हिसार जिले में, "एफएलसी—ओके ईवीएम" के लिए स्ट्रांग रूम पंचायत भवन सिल्वर जूबली हाल में स्थापित किए गए थे।

7. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन :**

भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के जरिए दो बार रैंडमाइज की जाती हैं।

7.2 प्रथम रैंडमाइजेशनः—

(i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन से पहले 10% मशीनें प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए निशान — ईवीएम में "प्रशिक्षण और जागरूकता" के साथ अलग रखी जाती हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम तय करते हैं और राज्य के सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को नियत पावती के साथ कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं।

(ii) डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से मशीनें आबंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाता है।

(iii) रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है।

(iv) हिसार जिलें में, प्रथम रैंडमाइजेशन 02.09.2024 को आयोजित किया गया और 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित मशीनें 08.09.2024 को प्राप्त की गई थीं। प्रथम रैंडमाइजेशन की सूचना राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी हिसार के कार्यालय के पत्र कमांक निर्वाचन–2024 / 3957 दिनांक 30.08.2024 द्वारा दी गई थी। **(Annexure- C & D)**

(v) निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम पंचायत भवन हिसार पर पृथक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्ट्रॉग रूम में स्टोर किया गया था। उक्त प्रकिया के दौरान आईएनसी से श्री अनील बिश्नोई व श्री भूप सिंह मौजूद रहें। **(Annexure-E)**

(vi) भंडारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वीडियोग्राफी के अधीन पूरी की गई तथा सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं।

7.3. द्वितीय रैंडमाइजेशनः–

(i) उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा द्वितीय रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और आयोग के पर्यवेक्षकों, जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है।

(ii) राजनैतिक दलों को द्वितीय रैंडमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना, लिखित रूप में, दी जाती है।

(iii) राजनैतिक दलों और श्रीमती पी. रमना सरस्वती, भा0प्र0से0, सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में 24.09.2024 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय रैंडमाइजेशन का संचालन किया। उक्त अवसर पर आईएनसी के श्री सुनील कुमार मौजूद रहें। **(Annexure-G)**

8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कमीशनिंगः–

8.1 उम्मीदवारियां वापस लेने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों को सेट करने का कार्यक्रम तैयार करते हैं।

8.2 सभी उम्मीदवारों को कार्यक्रम की सूचना दी जाती है जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है तथा उम्मीदवारों से मॉक पोल प्रक्रिया में भाग लेने

का अनुरोध किया जाता है। उक्त कार्य 24*7 सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षित परिवेश में एक पृथक हॉल में किया जाता है।

8.3 कमीशनिंग के कार्य का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) और आरओ द्वारा तैनात किए गए अन्य अधिकारियों द्वारा बीईएल/ईसीआईएल की तकनीकी टीम की सहायता से हॉल में मौजूद आरओ, आयोग के पर्यवेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में किया जाता है तथा पारदर्शिता लाने के लिए, लोड किए जा रहे चुनाव चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के साथ अलग से टीवी मॉनिटर संस्थापित किए जाते हैं।

8.4 इस समय, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर फिर से मशीन के हरेक कल–पुरजे की जांच करते हैं और उसे उम्मीदवारों को दिखाने के बाद रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को प्रमाणपत्र देते हैं।

8.5 पहले, बैलेट यूनिट (बीयू) तैयार और सीलबंद किया जाता है, तब वीवीपैट यूनिट तैयार किया जाता है। एक नया पावर पैक (बैटरी) और नया पेपर रोल डाला जाता है। वीवीपैट कम्पार्टमेंट को सील बंद करने के पश्चात, कंट्रोल यूनिट (सीयू) तैयार किया जाता है और उसमें उम्मीदवारों को सेट किया जाता है। सीयू में एक बिलकुल नया पावर पैक (Battery) डाला जाता है।

8.6 सभी तीनों (3) यूनिटों को तैयार करने एवं पुरानी प्रयुक्त की गई बैटरी को बिलकुल नई बैटरी से प्रतिस्थापित करने के बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा जाता है और इस बात की जांच करने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, मॉक पोल किया जाता है।

8.7 संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मशीन को बंद कर दिया जाता है, वीवीपैट तथा सीयू को सीलबंद कर दिया जाता है। वीवीपैट और सीयू के बैटरी सेक्शनों को भी थ्रेड सील और एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सीलबंद कर दिया जाता है।

8.11 ईवीएम और वीवीपैट की सभी मुहरों (सील) पर रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

8.12 कमीशनिंग के बाद मशीनें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सभी प्रोटोकॉल के साथ पुनः स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थी।

8.13 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग और भंडारण 26.09.2024 को सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन हिसार में पर्यवेक्षक और निम्नलिखित आईएनसी, बीएसपी, आप तथा निर्दलीय उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था:–

1. श्री अभिजित सिंह 2. श्री सुनील कुमार 3. श्री नानक देव 4. श्री जतिन शर्मा 5. श्री जोगिन्द्र **(Annexure-I)**

9. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रेषण** (Dispersal)

9.1 आयोग के अनुदेशों अनुसार पोलिंग टीमों की रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में दी जाती है।

9.2 रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, आयोग के पर्यवेक्षक और उम्मीदवार/उनके एजेंट, पोलिंग टीमों के पीठासीन अधिकारी इस बात की पूरी तरह जांच करते हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट विधिवत रूप से सीलबंद किए गए हैं और उनकी मुहर (सील) और पता टैग अक्षत हैं और बैटरियां संस्थापित की गई हैं।

9.3 उम्मीदवार, सुरक्षा कार्मिक के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी देखते हैं।

9.4 ईवीएम नियंत्रण कक्ष द्वारा पोलिंग टीमों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही (मूवमेंट) का अनुवीक्षण जीपीएस और मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए राज्य के डीईओ और सीईओ के स्तरों पर किया जाता है [कृपया अनुदेशों के सार–संग्रह, 2024 (खंड I) में उपलब्ध आयोग के अनुदेश सं. 51/8/आईएनएसटी/2019–ईएमपी, दिनांक 05.02.2019 का अवलोकन करें]

9.5 डीईओ सभी अभ्यर्थियों और पर्यवेक्षकों को संबंधित सेक्टर अधिकारियों के विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और विवरण की अधिसूचना देते हैं।

9.6 53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये पोलिंग पार्टीयों की रवानगी (Dispersal) हेतू की सूचना इस कार्यालय द्वारा सभी उम्मीदवारों को दी गई थी, जिसमें आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मौजूद रहे थे। **(Annexure-K)**

10. **मतदान दिवस की व्यवस्थाएं:–**

10.1 आयोग ने अपने अनुदेश सं. 51/8/अनु./2023–ईएमएस, दिनांक 16.10.2023 के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हैंडलिंग और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पदधारियों द्वारा किए जाने वाले संरक्षोपायों की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

10.2 वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, आयोग के अनुदेश सं. 51/8/7/2019–ईएमएस, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल किया जाता है। जिसके तहत कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वोट दर्ज हो जाएं।

10.4 मॉक पोल के परिणामों को अभिनिश्चित करने के बाद, वीवीपैट पर्चियां निकाली जाती हैं और मॉक पोल के आंकड़ों को हटा दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को फिर से विधिवत रूप से सीलबंद कर दिया जाता है।

10.5 मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सीलों और थ्रेड सीलों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल की तारीख और समय के साथ एक मॉक पोल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

10.6 पीठासीन अधिकारी छद्म मतदान प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारियों की डायरी में वास्तविक मतदान आरंभ होने की तारीख और समय भी नोट करते हैं।

10.8 कंट्रोल यूनिट में "अल्प बैटरी" के संकेत की दशा में, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का पावर पैक, जो भी मामला हो, आयोग की पत्र सं. 51/8/7/2020–ईएमएस, दिनांक 25.08.2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तत्काल बदले जाने होते हैं।

10.10 सेक्टर अधिकारी को आरक्षित (Reserve)मशीनें आबंटित की जाती हैं और जहां भी जरूरत होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं। यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मॉक पोल और सीलबंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया नई मशीन पर दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को मुहरों (सील) पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।

10.12 मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। वह फॉर्म 17ग में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की समाप्ति की तारीख और समय नोट करता है। फॉर्म 17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं इसके बाद पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को डिस्कनेक्ट कर देता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को खोल (कैरिईंग केस) में डाल देता है। पीठासीन अधिकारी वीवीपैट का पावर पैक (बैटरी) निकालता है और फिर मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट को सीलबंद कर देता है। इसके बाद वह एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करता है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराता है। तदोपरान्त मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाई जाती हैं।

11. **मतयुक्त ईवीएम का भंडारण (Storage)**

11.1 मतयुक्त ईवीएम और आरक्षित नाकाम ईवीएम के भंडारण (Storage) के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही स्ट्रांग रूम तैयार किए जाते हैं।

11.2 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपयुक्त वीडियोग्राफी के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचना देकर आयोग के पत्र सं. 464/स्ट्रांग रूम/2023–ईपीएस, दिनांक 18.07.2023 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, सुरक्षित भंडारण के लिए जमा कर दी जाती हैं।

11.3 मतयुक्त ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित रैकों में खास–खास मतदान केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ढेर लगाने के लिए फ्लोर स्पेस नामोद्दिष्ट किया जाता है।

11.4 **आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण के लिए सख्त सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं–**

(i) बिना किसी खिड़की या वैकल्पिक दरवाजे के स्ट्रांग रूम में एक ही प्रवेश द्वार होना।

(ii) स्ट्रांग रूम में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक–1 की चाबियां रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं जबकि लॉक–2 की चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं।

(iii) द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिसमें सबसे भीतरी परिधि सीएपीएफ कवरेज के अधीन और बाह्य परिधि राज्य सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रहती है।

(iv) स्ट्रांग रूम की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए डीवीआर सहित 24*7 सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(v) प्रत्येक प्रवेश, निकास के लिए और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए सीएपीएफ द्वारा उचित उपयुक्त लॉग बुक बनाए रखा जाता है। आंतरिक परिधि को पार करने वाले व्यक्ति की तिथि, समय, अवधि और नाम लॉग बुक में दर्ज प्रविष्ट किए जाते हैं और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें पर्यवेक्षक या जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे (विजिट) शामिल हैं।

(vi) कोई भी वाहन, जिसमें किसी भी पदधारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी के वाहन शामिल हैं, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट तथा चुनावी कागजात निर्वाचन पत्र स्टोर किए गए हैं।

(vii) उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोलते और बंद करते समय प्रवेश बिंदु की निरंतर वीडियोग्राफी की जाती है।

(viii) उम्मीदवार आंतरिक परिधि के बाहर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहने के लिए अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं।

11.5 53–नलवा की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामान्य पर्यवेक्षक और निम्नलिखित दलों के अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 05.10.2024 को रात्रि 11:35 बजे, सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन हिसार के स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीः–

1. आईएनसी
2. बीजेपी
3. निर्दलीय

12. **फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा (Scrutiny):–**

12.1 फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा (Scrutiny) के लिए नियत दिन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेंटों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र स्ट्रांग रूम वीडियोग्रॉफी के अधीन खोला जाता है।

12.2 फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा (Scrutiny) पूरी होने के बाद, उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग–बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद और सीलबंद कर दिया जाता है।

12.3 फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों वाले स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

12.4 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में संवीक्षा (Scrutiny) की प्रक्रिया 06.10.2024 प्रातः 11:00 बजे सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन, हिसार में, सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में की गई। **(Annexure-N)**

13. **मतों की गिनतीः–**

13.1 मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले वज्र गृह (स्ट्रांग रूम) को उम्मीदवारों/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, आरओ/एआरओ की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला जाएगा।

13.2 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ले जाने की तैयारी निरापद रास्ते से सुरक्षित तरीके से की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूमों की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) का रास्ता एक–दूसरे से न टकराए। मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) की वीडियोग्राफी भी की जाती है।

13.3 मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाएंगी।

13.4 कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना स्टाफ द्वारा सील की गहन जांच की जाती है।

13.5 कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17ग में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

13.6 कंट्रोल यूनिट पर मतदान का प्रारंभ समय एवं तारीख और मतदान की समाप्ति समय और तारीख सत्यापित की जाती है और पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है।

13.7 मतगणना एजेंट फॉर्म 17ग में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।

13.8 आयोग ने पोलिंग स्टाफ द्वारा प्रक्रियात्मक चूक करने या मतदान की तारीख और समय के विवरण में असंगति के मामले में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट अनुदेश दिए हैं।

13.9 प्रत्येक चक्र की मतगणना पूरी होने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस चक्र के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के आखिरी चक्र के अंत में, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अधिदेशात्मक सत्यापन करते हैं।

13.10 इन 5 इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों का यादृच्छिक चयन आयोग द्वारा अपने अनुदेश सं. 51/8/वीवीपैट–अनु./2019–ईएमपीएस, दिनांक 15.04.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरओ द्वारा चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाता है।

13.11 उम्मीदवारों को चिट्ठी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के संबंध में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।

13.12 यदि ईवीएम में दर्ज मतों और वीवीपैट पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ)(4)(ख) के अनुसार वीवीपैट पेपर पर्ची मान्य होगी।

13.13 ईवीएम मतगणना और अधिदेशात्मक वीवीपैट पेपर पर्ची गणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।

13.14 मतगणना के शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित किए जाने तक आयोग के पर्यवेक्षक मौजूद बने रहते हैं।

13.15 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन हिसार में 08.10.2024 को आयोग के पर्यवेक्षक और उम्मीदवार/उनके मतगणना/चुनाव एजेंट की उपस्थिति में मतगणना

संपन्न हुई। उक्त दिवस को मतगणना से पूर्व स्ट्रांग रूम को प्रातःकाल में खोला गया तथा आप स्वयं श्री अनिल मान भी उस प्रकिया के दौरान उपस्थित रहें। विभिन्न उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ–2 आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक भी इस समय मौजूद थे तथा सम्पूर्ण प्रकिया की विडियोंग्राफी की गई, जोकि सक्षम प्राधिकारी के पास संरक्षित है। वैसे मतदान केंद्र जो अधिदेशात्मक वीवीपैट पर्ची गणना के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित किए गए थे, जोकि मतदान केंद्र संख्या 07, 15, 105, 151, 157 पर थे। **(Annexure-M)**

14. **उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि** राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार/उनके एजेंट चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आयोग के प्रत्येक दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया एवं समय–समय पर आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में समय से सूचित भी किया गया। आपके उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया है जिनका पुनः विवरण निम्नवत हैः–

i. एफएलसी का कार्यक्रम हिसार के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र सं. निर्वाचन–2024/3380 दिनांक 29.07.2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें तथा उक्त प्रकिया में दिनांक 16.08.2024 को कुल 03 मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये, जिसकी उपस्थिति रिपोर्ट साथ सलंग्न है। **(Annexure- A & B)**

ii. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की एफएलसी हिसार जिले में 01.08.2024 से 20.08.2024 तक सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन पर आयोजित की गई थी और इस प्रक्रिया के दौरान 16.08.2024 को आईएनसी के प्रतिनिधि सहित कुल 03 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। **(Annexure- A & B)**

iii. एफएलसी हॉल में डीईओ द्वारा बनाए रखे गए लॉग रजिस्टर में 16.08.2024 को आईएनसी प्रतिनिधि श्री अनील तथा श्री अनुपाल की उपस्थिति के बारे में विवरण है। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था। **(Annexure- B)**

iv. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम हिसार जिलें के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र सं. निर्वाचन–2024/3957 दिनांक 30.08.2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें तथा उक्त प्रकिया में दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे कुल 06 मान्यताप्राप्त राजनितिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थें,

जिसमें आईएनसी का प्रतिनिधित्व श्री अनील बिश्नोई द्वारा किया गया, जिसकी उपस्थित रिपोर्ट साथ सलंग्न है। **(Annexure- C & D)**

v. प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान श्री अनील बिश्नोई (आईएनसी के प्रतिनिधि) उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था। **(Annexure- D)**

vi. प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें श्री अनील बिश्नोई तथा श्री भूप सिंह (आईएनसी के प्रतिनिधि) की उपस्थिति में दिनांक 08.09.2024 को स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं। **(Annexure- E)**

vii. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम जिला निर्वाचन कार्यालय हिसार के पत्र कमांक निर्वाचन–2024/4355 दिनांक 22.09.2024 के तहत जारी किया गया, जिसके अनुसरण में 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरओ होने के नाते मेरे द्वारा पत्र सं. निर्वाचन–2024/53–नलवा/1431 दिनांक 24.09.2024 के तहत आगामी कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके तहत दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे माननीय सामान्य पर्यवेक्षक तथा राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें आईएनसी का प्रतिनिधित्व श्री सुनील कुमार द्वारा किया गया, जिसकी उपस्थिति रिपोर्ट साथ संलग्न है। **(Annexure- F)**

viii. द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में 24.09.2024 को स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। **(Annexure- G)**

ix. 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करने (कमीशनिंग) का कार्य 26.09.2024 को सिल्वर जूबली हाल, पंचायत भवन पर किया गया था। इसका कार्यक्रम पत्र चुनाव–2024/53–नलवा/1396–1408 दिनांक 24–09–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि कार्यक्रम का निरीक्षण करें और मॉक पोल में भाग लें, जिसमें कुल 05 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। **(Annexure- H)**

x. कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान, आप/आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार उपस्थित थे। कमीशनिंग के समय आप/आपके प्रतिनिधि द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ सम्पूर्ण हुई। **(Annexure- I & J)**

xi. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पुनः आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं। **(Annexure- J)**

xii. इसके अतिरिक्त, दिनांक 04.10.2024 को आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और पोलिंग पार्टियों के प्रेषण (डिस्पर्सल) हेतू स्ट्रांग रूम खोला गया। **(Annexure- K)**

xiii. बैलट यूनिटों (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) के सभी एड्रेस टैग सील के साथ अक्षत थे और उस समय आपके/आपके प्रतिनिधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में कोई भी मुद्दा/चिंता व्यक्त नहीं की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे।

xiv. मतदान के दिन, वास्तविक मतदान से पहले, 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित किया गया था। मॉक पोल पूरा होने के प्रमाण पत्र पर आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे और मॉक पोल प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में आपके/आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था।

xv. वास्तविक मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा किसी भी मतदान केन्द्र पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

xvi. वास्तविक मतदान पूरा होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को आपके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सीलबंद कर दिया गया था और उस समय भी मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर आपके/आपके प्रतिनिधियों से कोई शिकायत/मुद्दा प्राप्त नहीं हुआ था।

xvii. मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग पार्टियों द्वारा अभिज्ञात लोकेशनों पर जमा कर दी गई थीं और उसके बारे में आपको काफी समय रहते बता दिया गया था। स्ट्रांग रूम के लॉग रजिस्टर के अनुसार, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपकी उपस्थिति में/आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार और सामान्य पर्यवेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में दिनांक 05.10.2024 को रात्रि 11:35 पर स्टोर की गई थीं और उन सबकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को बंद भी किया गया था। उस समय भी आपके/आपके प्रतिनिधि की ओर से कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया गया था। **(Annexure- L)**

xviii. दिनांक 05.10.2024 को स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद से दिनांक 08.10.2024 को मतगणना की तिथि तक मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई थीं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में था। अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, स्ट्रांग रूम में आवाजाही पर नियमित रूप से नजर बनाए रखी। उस समय न तो आपने और न ही आपके प्रतिनिधि ने मेरे या किसी एआरओ के पास कोई मुद्दा/शिकायत उठाई/दर्ज की।

xix. मतों की गणना के लिए नियत दिन मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम को दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 07:05 पर खोला गया था। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान आप स्वयं श्री अनिल मान और सामान्य पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। लॉग रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए गए थे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। उस समय भी, आपने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और संरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की/कोई मुद्दा नहीं उठाया। **(Annexure- M)**

xx. उपर्युक्त अवसरों के अतिरिक्त भी समय–समय पर मैंने इंडियन नैशनल कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं तथा उनके साथ उपयुक्त सूचनाएं साझा की हैं। तिथिवार इन सभी बैठकों के कार्यवृत्त और उनमें आपके दल के उम्मीदवार अथवा दलीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का ब्यौरा संलग्न है।

xxi. इसके अलावा, प्रथम स्तरीय जांच के समय, सभी यादृच्छिकीकृत (रैंडमाइज) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची डीईओ द्वारा राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर की सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। प्रत्येक चरण में स्ट्रांग रूम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही के समय आप या आपके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं।

xxii. आपको पुनः सूचित किया जाता है कि, वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 434 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र सं. 51/8/अनुदेश/2024–ईएमएस, दिनांक 01.06.2024 में समाविष्ट अपने अनुदेशों के जरिए प्रशासनिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्दिष्ट की है जिसमें जांच की जाने वाली यूनिटों को बाहर निकालने की आवेदन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल तथा ईवीएम यूनिट (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना उपरांत जांच और सत्यापन, प्रलेखन कार्य, आदि के लिए संरक्षोपाय एवं प्रोटोकॉल वर्णित किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के पैरा 3(सी) में दी गई समय–सीमा के अनुसार, पात्र उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संबंधित डीईओ से लिखित अनुरोध कर सकते हैं। मेरे विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से आईएनसी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

xxiii. **बैटरी पैक के ऊपर 99% चार्ज दर्शित (डिस्प्ले) होनाः**– जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में बैटरी की स्थिति का 99% प्रदर्शित होने का प्रश्न है, उक्त बारे आयोग द्वारा भेजे गये बीईएल Engineers के द्वारा कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार तथा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से सम्पर्क उपरान्त Battery के बारे में मैनें अपने प्रतिउतर दिनांक 08–10–2024 को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया था। आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सीलबंद की जाती है तथा उनके/उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी चरण पर चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना असंभव है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज के 7.4 के ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99% प्रदर्शित होती है। उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता और परिणामी वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता यानि 98% से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्प्ले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

xxiv. यह दोहराया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सख्त प्रोटोकॉल और हर समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), पुलिस आदि के सुरक्षा कवर में रखा गया है। अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आप/आपके अधिकृत एजेंट ईवीएम हैंडलिंग के प्रत्येक चरण – बैटरी सेक्शन को सीलबंद करने के समय से शुरू करके उन्हें वापस स्ट्रांग रूम में स्टोर करने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर निकालने के समय, पूरे मतदान के दिन, मतदान बंद होने के समय सीलबंद करने, उन्हें पुनरू मतदान केंद्रों से ढोकर स्ट्रांग रूम में ले जाने, मतगणना के दिन उन्हें सभी अक्षुण्ण मुहरों (सील) के साथ बाहर लाने तक – में शामिल थे।

xxv. **Clock Error (डिस्प्ले) होनाः**– मतदान केंद्र संख्या 16 की कंट्रोल युनिट में **Clock Error** डिस्प्ले हुआ था और उक्त कंट्रोल युनिट को मतगणना के दौरान सभी की उपस्थिति में मतगणना हाल में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से प्राप्त निर्देशानुसार, मतदान केंद्र संख्या 16 की वीवीपैट

P-7/14

पर्चियों की अलग राउंड में गिनती की गई और परिणाम पत्र घोषित किया गया। वीवीपैट पर्चियों की मतगणना के समय आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मौजूद रहें थें।

15. **53–नलवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में आयोग के सुसंगत अनुदेशों का पूरी तरह से अध्ययन किया है। आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है और उन्हें प्रत्येक चरण की सूचना लिखित रूप में, उनसे मिली पावतियों के साथ, दी है। जब कभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया, आयोग के अनुदेशों के अनुसार तुरंत निराकरण किया। पुनः आपकी शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर तथ्य आधारित पड़ताल की गई जिसमें आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाए गए। यहां पुनः अवगत कराना है कि – प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), प्रथम चरण के यादृच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन), द्वितीय चरण के यादृच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन), चुनाव से पांच–सात दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के पश्चात उसके एड्रेस टैग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण करते समय आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार उपस्थित थे, वितरण केन्द्र से पोलिंग पार्टियों को चालू (कमीशन) की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वितरित करने के लिये स्ट्रांग रूम खोलते समय आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मौजूद थे, पोलिंग पार्टियों के मतदान केन्द्रों तक पहुंचने, मतदान वाले दिन मतदान से पहले मॉक पोल करने, पूरे दिन मतदान होने, मतदान के पश्चात क्लोज का बटन दबाने, मतदान के दौरान कितनी वोटिंग हुई उसका हिसाब पोलिंग एजेंट को देने, मतदान के बाद ईवीएम को सीलबंद करते समय आपके प्रतिनिधि श्री सुनील मौजूद थे तथा उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेने, तदुपरांत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर स्ट्रांग रूम में जमा कराने तथा स्ट्रांग रूम को सीलबंद करने, फिर मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोलने के समय आप या आपके प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मौजूद थे, ईवीएम को काउटिंग हॉल में लाने, मतगणना करने से पहले ईवीएम की सील चैक करने तथा पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करने, मतगणना के दौरान प्रत्येक चक्र में फॉर्म–17ग से ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने, चक्रवार परिणाम घोषित करने – इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन समस्त प्रक्रियाओं की केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की गई है तथा ये सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज/लॉग बुक/रजिस्टर में प्रविष्टियों के अंतर्गत कवर की गई हैं। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर–फेर अथवा जोड़–तोड़ सर्वथा असंभव है। मतदान के अगले दिन यानी चुनाव प्रपत्रों की जांच के समय या उसके बाद स्ट्रांग रूम को सील करने के समय भी आप या आपके प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के तहत और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में भी आयोजित की गई थी। यह प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रमाणित करता है और स्थापित प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं देता है और मशीनों को किसी के द्वारा किसी भी स्तर पर

बदला नहीं जा सकता है। इसलिए. आपकी आशंकाएं निराधार और तथ्यविहीन है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के दौरान बनाए गए लॉगबुक से पता चलता है कि इन प्रक्रियाओं के दौरान आप या आपके प्रतिनिधि मौजूद थे और ईवीएम में हेरफेर या बैटरी बदलने या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती। इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए आरोप वेबुनियाद, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार (ऑफ्टरथॉट) से प्रेरित प्रतीत होते हैं और मिथ्या नैरेटिव गढ़ने की भावना से ग्रसित प्रतीत होते हैं। इसके बावजूद, यदि आप इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।

रिटर्निंग अधिकारी,
53—नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—एवं—
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

पृ0कमांकः चुनाव—2024 / 53—नलवा / 3047—48 दिनांकः 23—10—2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः—

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी—एवं—उपायुक्त, हिसार।

रिटर्निंग अधिकारी,
53—नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—एवं—
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

Annexure - A

(3)

14 (i), (ii)

DISTRICT ELECTION OFFICE, HISAR
जिला निर्वाचन कार्यालय, हिसार।

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल (हरियाणा),
प्रधान / सचिव, हिसार।

यादि कमांक निर्वाचन–2024 / 3380 दिनांक 29/07/2024

विषयः– **EVMs मशिनों की FLC व वेयर हाउस खोलने– बारे ।**

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत कराया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ के निर्देशानुसार आगामी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए EVMs(BU+CU+VVPATs) की FLC का कार्य BEL Engineer द्वारा दिनांक 01–08–2024 से 20–08–2024 तक Silver Jubilee Hall, Panchayat Bhawan, Hisar में किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 01–08–2024 से 20–08–2024 तक वेयर हाउस खोलते समय व FLC के दौरान स्वंय या अपने प्रतिनिधि लघु–सचिवालय व Silver Jubilee Hall, Panchayat Bhawan, Hisar में उपस्थित होने का कष्ट करे । यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है ।

29/07/2024

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हिसार।

(Annexure - B)

④

14(i), (ii)
(iii)

ANNEXURE-7

(Mock Poll Selection Certificate during FLC of EVMs)

Date: 16/08/2024

Name of State/UT: HARYANA

Name of District: HISAR

Address of FLC Hall: SILVER JUBLEE HALL MAHAVIR STADIUM HISAR.

It is certified that I have been allowed to pick machines (EVMs as well as VVPATs) randomly for the purpose of mock-poll.

SL No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.
	INLD	Sh. RAMESH CHUGH	80708416 0027	[signature]	
	AAP	Sh. SitaRam		[signature]	
	INC INC	Sh. ANIL Sh. Anupal	—	[signature] [signature]	

[redacted]

DISTRICT ELECTION OFFICE, HISAR

जिला निर्वाचन कार्यालय, हिसार।

(Annexure-'C')   14 (i)

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024 / 3957 दिनांक : 30/8/2024

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं
राज्य राजनैतिक दलो के प्रधान / सचिव, हिसार

विषय :– **Haryana Vidhan Sabha General Election 2024- 1st Randamization of EVM/VVPATs.**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिला हिसार के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों लिए EVMs/VVPATs का 1st Randamization दिनांक 02–09–2024 को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार महोदय की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे वि.सी. हॉल, प्रथम तल लघु–सचिवालय, हिसार में किया जा रहा है। इस दौरान आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 02–09–2024 को प्रातः 11:00 बजे वि.सी. हॉल, प्रथम तल लघु–सचिवालय, हिसार में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने का कष्ट करें।

30/08/2024

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हिसार।

प्रतिः–

1. पी.ए टू उपायुक्त, हिसार ।
2. स्टैनो टू नगराधीश, हिसार ।

Office Room No-309, Mini Secretariat Rajgarh Road Hisar-125001 (India) Tel 01662-283178
कार्यालय कमरा नं0–309 लघु सचिवालय राजगढ़ रोड, हिसार 125001 (भारत) दूरभाष 01662–283178

(Annexure-'D')

14(IV), (V)

Attendance

Haryana Vidhan Sabha General Election- 2024, 1st Randamization of EVMs & VVPATs, Dated 02-09-2024, Time: 11:00

Political Party and their Representative.

Sr. No	Name of Poltical Party	Name of Representative	Mobile No.	Signature
1	B. S. P	Nanak Dev 9/c Distt	9992714995	[signature]
2.	CPI(M)	Dinesh Sanch	98134-44383	[signature]
3.	INLD	Ramesh Chugh	93158-24760	[signature]
4.	B. J. P.	Virender Sharma	9813150119	[signature]
5	I. N. C	ANIL BISHNOI	9053452929	[signature]
6	AAP	Sumit	9951000557	[signature]

(14(VI))

(Annexure- E)

General Election to Haryana Vidhan Sabha 2024- Assessment and Inventory reg.

Dated: 08-09-2024, Attendance

Sr. No	Name of Officer/Official	Designation	Mob.No.	E-Mail	Signature
1	ANIL BISHNOI	INC Office Sct.	9053452929		[signature]
2	Bhoopsing.	I.N.C	9671778254		[signature]

(Annexure-'F')

⑦

14(vii)

DISTRICT ELECTION OFFICE, HISAR
जिला निर्वाचन कार्यालय, हिसार।

पत्र क्रमांक निर्वाचन–2024/4355 दिनांक : 22/09/2024

सेवा में

सभी रिटर्निंग अधिकारी,
हिसार।

विषय :– **Legislative Assembly Election 2024- Second Randamization of EVM/VVPATs regarding.**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 में जिला हिसार के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए EVMs/VVPATs का Second Randamization दिनांक 24–09–2024 को सभी माननीय सामान्य पर्यवेक्षक, जिला हिसार तथा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार महोदय की उपस्थिति में प्रातः 11:00 बजे जिला सभागार, प्रथम तल लघु–सचिवालय, हिसार में किया जा रहा है। जिस दौरान सभी रिटर्निंग अधिकारियों व चुनाव उम्मीदवारो/प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नानुसार कार्यावाही करने का कष्ट करेः–

1. आप अपने विधानसभा से सम्बन्धित माननीय सामान्य पर्यवेक्षक को मशीनो की रैण्डेमाईजेशन में उपस्थित होने के लिए सूचित करे।
2. आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव उम्मीदवारो/उनके प्रतिनिधियों को मशीनो की रैण्डेमाईजेशन में उपस्थित होने के लिए सूचित करे।
3. ई.एम.एस सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए आपके द्वारा नियुक्त जूनियर प्रोग्रामर/कम्प्युटर ऑपरेटर को उक्त रैण्डेमाईजेशन में उपस्थिति होने के लिए निर्देशित करे ।

यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 22/09/2024

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हिसार ।

पृ0क्रमांकः– निर्वाचन–2024/4356 दिनांकः– 22/09/2024

इसकी एक निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सभी माननीय सामान्य पर्यवेक्षक ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हिसार।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हिसार।
4. पी.ए टू उपायुक्त, हिसार ।
5. स्टैनो टू नगराधीश, हिसार ।

(हस्ताक्षर) 22/09/2024

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हिसार ।

Annexure-'F'

14(vii)

कार्यवाही

विषयः 53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के EVM/VVPATs का Second Randomization उपरान्त स्ट्रांग रूम खोले जाने बारे।

उपरोक्त विषय बारे आज दिनांक 24.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे माननीय सामान्य पर्यवक्षेक, 53–नलवा व उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार तथा चुनायी उम्मीदवार/प्रतिनिधि की उपस्थिति में 53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में EVM/VVPATs का Second Randomization किया गया। इसके उपरान्त दोपहर 12:00 बजे मतदान केन्द्रों अनुसार ई.वी.एम./वी.वी.पैट मशीनें रखने हेतु स्ट्रांग रूम, पंचायत भवन, सिलवर जूबली हॉल, डायनिंग हॉल, हिसार को रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में चुनावी उम्मीदवार/प्रतिनिधि की उपस्थिति (संलग्न हाजिरी रिपोर्ट) में खोला गया।

रिटर्निंग अधिकारी
53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार

पृ0 क्रमांक निर्वाचन–2024/53–नलवा/1431 दिनांक 24-09-2024

इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार को सूचनार्थ प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी
53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार

(Annexure F) (9)

14(vii)

ई.वी.एम मशीनो की द्वितिय रैण्डेमाईजेशन के उपरान्त 53-कलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव उम्मीदवार/प्रतिनिधि के रूप ई.वी.एम/वी.वी.पैट्ज मशीनो ~~की सूची प्राप्त कर ली है~~ का स्ट्रोंग रूम खोले जाने की हाजिरी

दिनांक 25/09/24 समय 12:00 बजे (दोपहर)

Sl. NO	Name of Candidate/Representative	Name of Party/Indepndent	Mobile No.	E-mail	Signature
	Ravinder R/ Ritesh	Independent	9350246546	Riteshleithrai@0009	Ritesh
	Sunil Kr	INC	9466760460	1227 Agarwal	[illegible]
	Abhijeet Singh c/o Jai Parkash	Independent	9802773877	abhijitsingh...	[illegible]
	Ravish Kumar	Independent	9991760076	ravish.kausik...@	[illegible]

(Annexure- 'G')

-(10)

14(viii)

ई.वी.एम मशीनो की द्वितिय रैण्डेमाईजेशन के उपरान्त 53 नलवा. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव उम्मीदवार/प्रतिनिधि के रूप ई.वी.एम/वी.वी.पैट्ज मशीनो की सूची प्राप्त कर

दिनांक 24/09/24 समय 11:00 AM

Sl. NO	Name of Candidate/Representative	Name of Party/Indepndent	Mobile No.	E-mail	Signat
1.	Abhijeet Singh at Jaipratap	Independent	9802773877	abhijeetsingh@gmail.com	Abhijeet
2	Rajesh Kumar Adampurkar	Independent	9991760776	rajesh.kaushik20@gmail.com	Ram
3.	Sunil Kumar	INC	9466260460	1272 Azad Nagar Hisar	[illegible]
4.	Ravinder	Independent	9350246546	Riteshbishnoi@00029	Ritesh

(Annexure-'H')

(11)

14(ix)

प्रेषक

रिटर्निंग अधिकारी,
53–नलवा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र–एवं–
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

सेवा में,

1	अनिल मान	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	मकान नंबर 171, वार्ड नंबर 30, सेक्टर 15ए, हिसार 9813100018 anil2024@sjis.in
2	उमेश शर्मा	आम आदमी पार्टी	मकान नंबर 37, राजेन्द्र एन्कलेव, तहसील व जिला हिसार 9992777999 umesh.gju@gmail.com
3	रणधीर पनिहार	भारतीय जनता पार्टी	गाँव व डाकखाना पनिहार चक, तहसील व जिला हिसार 9215800650 randhirpanihar@gmail.com
4	विरेन्द्र चौधरी	जननायक जनता पार्टी	गाँव व डाकखाना भोजराज, जिला हिसार हाल निवासी मकान नंबर 135, सेक्टर 15 हिसार। 9873097001 virender.greenwich@gmail.com
5	श्रवण कुमार वर्मा	बहुजन समाज पार्टी	मकान नंबर 97/1, गाँव बाडो ब्राह्मणान, तहसील व जिला हिसार। 9940019637 skvermabadyab@gmail.com
6	राजकुमार	राष्ट्रवादी भारत पार्टी	गाँव व डाकखाना कैमरी तहसील व जिला हिसार 9992735520
7	अनिल कुमार	निर्दलीय	गाँव गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार। 9896600043
8	आत्मप्रकाश	निर्दलीय	गाँव बासडा, जिला हिसार। 7015303106 atamparkash07246@gmail.com
9	जय प्रकाश	निर्दलीय	गाँव रावलवास खुर्द, जिला हिसार। 8569924120 jpsigar297@gmail.com
10	प्रद्युमन जोशीला	निर्दलीय	गाँव व डाकखाना कंवारी, तहसील हांसी, जिला हिसार। 9416674472 pardumanjoshila@gmail.com
11	महाबीर प्रसाद	निर्दलीय	चमार मोहल्ला, गाँव गंगवा, तहसील व जिला हिसार। 9255179441
12	रविन्द्र कुमार	निर्दलीय	गाँव मंगाली झारा, तहसील व जिला हिसार। 9813370022 ravinderpunia999@gmail.com
13	राजेन्द्र सिंह	निर्दलीय	गाँव हिदवान, तहसील व जिला हिसार। 8860398210 rajenderpoonia8053740005@gmail.com

क्रमांक: चुनाव–2024/53–नलवा/1396-1408 दिनांक: 24-09-2024

विषय:– 53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आम चुनाव 2024– ई0वी0एम0 मशीनों की **Commissioning** व **Randomly Mock Poll** हेतू स्ट्रांग रूम खोलने बारे।

उपरोक्त विषय बारे, आपको अवगत करवाया जाता है कि 53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग होने वाली ई0वी0एम0 मशीनों की Commissioning हेतू दिनांक 26–09–2024 को प्रातः 09:00 बजे सिलवर जुबली हॉल, पंचायत भवन, हिसार में स्थित स्ट्रांग रूम को खोला जायेगा। इसके अलावा आपको यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 28–09–2024 को प्रातः 10:00 बजे Randomly Mock Poll भी की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 26-09-2024 से 28-09-2024 तक आप स्वयं मौके पर उपस्थित रहें या अपने Election Agent को मौके पर उपस्थित रहने हेतू पाबन्द करें, ताकि ई0वी0एम0 मशीनों की Commissioning व Random Mock Poll सूचारू रूप से की जा सकें।

रिटर्निंग अधिकारी,
53-नलवा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-एवं-
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

क्रमांक निर्वाचन-2024/53-नलवा/1409-10 दिनांक: 24-09-2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।
2. उपायुक्त-एवं-जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार।

रिटर्निंग अधिकारी,
53-नलवा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-एवं-
अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।

Annexure-'I'

(13)

14 (X)

Strong Room Proceeding

आज दिनांक 26/9/24 को 9.20 AM बजे 53-नलवा का स्ट्रांग रूम जो पंचायत भवन हिसार मे स्थित है, को ई0वी0एम0 commissiong के लिये रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया। मौके पर निम्नलिखित उम्मीदवार / Election Agent उपस्थित रहें –

क0स0	उम्मीदवार का नाम / Election Agent	पार्टी	हस्ताक्षर
1	Ashijedhar	Independent	[signature]
2	Sunil kr	INC	[signature]
3	Nanakdev	B.S.P. 91(Distt).	[signature]
4	JATENJARAM	Aam ADMI PARTY	[signature]
5	Joginder	Independent	Ritesh
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Annexure-J

14(x),(xi)

Strong Room Proceeding

आज दिनांक 27/09/2024 को 04:42 PM बजे 53–नलवा का स्ट्रांग रूम जो पंचायत भवन हिसार मे स्थित है, को ई0वी0एम0 commissiong के लिये रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में बन्द किया गया। मौके पर निम्नलिखित उम्मीदवार/Election Agent उपस्थित रहें:–

क0स0	उम्मीदवार का नाम/चुनाव अभिकर्ता का नाम	पार्टी/निर्दलीय	हस्ताक्षर
1	Sunil	INC	[signature]
2	Abhijeet	Independent YC J.D	[signature]
3	Anil Kumar	आज़ाद	Anil Kumar
4	राजेन्द्र	राजेन्द्र (आज़ाद)	राजेन्द्र
5	SANDEEP	BSP & INLD	Sandeep Kumar
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

(Annexure-K)

(1

14(xii)

Strong Room Proceeding

आज **दिनांक 04.10.2024 को प्रातः 9.00 बजे** 53–नलवा का स्ट्रांग रूम जो सिल्वर जुबली हाल (पूर्वी भाग) पंचायत भवन, हिसार में स्थित है, को ई0वी0एम0 / वीवीपैट पोलिंग पार्टी की रवानगी हेतु रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया। इस मौके पर निम्नलिखित उम्मीदवार / Election Agent उपस्थित रहें:–

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम / Election Agent	पार्टी / निर्दलीय	हस्ताक्षर
1	Sunil	INC	[signature]
2	Ritesh	Independent	Ritesh
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Annexure-'L'

On 5th October at 11:35 PM, Strong room for 53 Nalwa was sealed in the presence of RO, ARO, candidates/representatives with polled machines of 182 booths.

Undersigned witnessed successful sealing

(1) [signature] Jayasharadha RO

(2) [signature] Sunil kumar 9466260410

(3) Jitender JITENDER PANIHAR 9812076700

(4) Manoj K MANOJ KUMAR 9896444002

(Annexure-'M')

①

14(xix)

Strong Room Proceeding

आज दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 07:05........ बजे 53–नलवा का स्ट्रांग रूम जो पंचायत भवन हिसार मे स्थित है, को ई0वी0एम0 / वी0वी0पैट0 मतगणना के लिये रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया। मौके पर निम्नलिखित उम्मीदवार / Election Agent उपस्थित रहें:–

क0स0	उम्मीदवार का नाम / चुनाव अभिकर्ता का नाम	पार्टी / निर्दलीय	हस्ताक्षर
1	जयप्रकाश	निर्दलीय	[signature]
2	आ. नीम कुमार	निर्दलीय	[signature]
✓ 3	अनिल मान	INC	[signature]
4	राजेन्द्र सिंह	आजाद	राजेन्द्र सिंह
5	आनंद कुमार	निर्दलीय	[signature]
6	Balbir Singh	BSP (E/Agent)	[signature]
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Annexure - N

विषयः– **हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024–मतदान केन्द्र के दस्तावेजों की Scrutiny बारे।**

आज दिनांक 06.10.2024 को मतदान के उपरान्त 53–नलवा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों के दस्तावेज (पीठासीन अधिकारी की डायरी, फार्म 17ए, Visitor Sheet, माईक्रो आब्जर्वर, रिपोर्ट, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रिर्पोट व फार्म 14ए आदि) की Scrutiny भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त माननीय पर्यवेक्षक तथा रिटर्निंग अधिकारी, 53–नलवा विधानसभा क्षेत्र एवं अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार द्वारा की गई है। Scrutiny बारे नोटिस 53–नलवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारो को पहले ही दे दी गई। Scrutiny में निम्नलिखित अधिकारियो व चुनाव उम्मीदवार/चुनाव अभिकर्ताओ ने भाग लिया:–

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम/चुनाव अभिकर्ता का नाम	पार्टी/निर्दलीय	हस्ताक्षर
	Naresh (Autam	Indian[illegible]	Naresh
	Sarwan Kumar Verma	BASPA	[signature]
	Ashijeet [illegible] C/o [illegible]	Independent	Ashiji
	RAJKUMAR	RBP	[signature]

Scrutiny प्रक्रिया की निरन्तर विडियोग्राफी करवाई गई । किसी भी चुनाव उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवाई गई । Scrutiny उपरान्त सभी मतदान केन्द्रों की रिपोर्ट ठीक पाई गई तथा किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है तथा किसी भी मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान का प्रस्ताव नहीं है।

[signature]

रिटर्निंग अधिकारी,
53–नलवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।